152

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 547–दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 15–12–2005 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 144/2004–05/अपील

.....

1– सूरजभान
2– उदयभान
3– हरीराम उर्फ हरीशंकर
4– ओमप्रकाश, पुत्रगण बद्रीप्रसाद
निवासीगण– बामौरकलॉ
तहसील व जिला– मुरैना, म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्यामसुन्दर पुत्र सुदर्शन
निवासी– बामौरकलॉ
तहसील व जिला– मुरैना, म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 19.9.2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 144/2004–05/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 15–12–2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि तहसील मुरैना के ग्राम बामौरकलां में स्थित विवादित भूमि जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी नारायनलाल पुत्र हरीविलास थे। अभिलिखित भूमिस्वामी नारायनलाल की मृत्यु हो जाने के कारण विवादित भूमि पर अनावेदक श्यामसुन्दर पुत्र सुदर्शन

प्रसाद ने वसीयतनामा के आधार पर अपने नाम नामान्तरण कराने बावत आवेदन पेश किया। नामान्तरण पंजी कमांक 19 दिनांक 30.09.96 में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.10.96 को नामान्तरण का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार मुरैना द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 27.10.96 से दुखी होकर आवेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी , मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना में प्रस्तुत अपील की प्रकरण कमांक 146/2004–2005 अंपील माल पर दर्ज करते हुये पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 11.07.2005 से प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई। इस आदेश से परिवेदित होकर आवेवदकगण द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया। विधिवत प्रकरण क्रमांक 144/2004–05/अपील पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 15.12.2005 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन व बलहीन मानकर खारिज किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने धारा 44 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के आवेदन पर, जो आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उस पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया तथा इस आवेदन कोई निराकरण किये बिना ही आदेश अवैध रूप से पारित किया है है। अधीनस्थ न्यायालयों ने धारा 5 भारतीय अवधि विधान के आवेदनों पर तथा आवेदक क्र0 4 के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर न्यायिक द्वष्टि से विचार नहीं किया है। जब कि मान्य सिद्धान्त यह है कि जब आवेदक क्र0 4 ओमप्रकाश ने अपने धारा 5 के आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र दिया है और अनावेदक ने कोई खण्डन नहीं किया है तो ऐसी परिस्थिति में आवेदक क्र0 4 ओमप्रकाश के प्रस्तुत शपथ–पत्र की अर्न्तवस्तु में अथवा शपथ–पत्र में वर्णित कथन विष्वसनीय माना जावेगा। इस संबंध में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा न्याय दृष्टांत – 1980 राजसव निर्णय पृष्ठ 548, 1986 एम0पी0व्हीकली नोट–बॉल्यूम–II–नोट–2 उल्लेखित किया गया है । उक्त बिन्दुओं के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये, निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में विचार किया गया। आवेदकगण ने अपने अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में जानकारी के स्त्रोत का जो उल्लेख किया है, उस पर कतई विष्वास नहीं किया जा सकता है । आवेदकगण ने अपने विधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि दिनांक 14.03.2005 को पटवारी मौजा से खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवाई गई तो जानकारी हुई कि नामांतरण पंजी क्रमांक 19 से अभिलिखित भूमिस्वामी नारायण के स्थान पर अनावेदक श्यामसुन्दर का नामांतरण हो चुका है । आवेदकगण का यह कथन मान्य नहीं किया जा सकता कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 27.10.96 की जानकारी आवेदकगण को नहीं हुई। जब नकल की प्रतिलिपि आवेदकगण द्वारा निकाली गई तब वर्ष 2005 में उक्त आदेश की जानकारी हुई है । लगभग 9 वर्षों तक आवेदकगण द्वारा न तो भूमियों पर गये और न ही पटवारी मौजा से जानकारी ली गई । स्पष्ट है कि आवेदकगण ने 9 वर्षों तक प्रकरण में कोई रूचि नहीं ली गई । अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ने प्रस्तुत अपील को विलंब में पाया और आवेदकगण द्वारा विलंब माफ करने के लिये जो धारा 5 का आवेदन पत्र पेश किया गया था उसमें कोई ठोस आधार भी नहीं पाया और प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त कर दिया गया। मेरे विचार से अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ने जो आदेश पारित किया है वह गलत नहीं था और इसकी पुष्टि अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अपने आदेश दिनांक 15.12.2005 से किया है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2005 को यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर